न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा
पीठासीन अधिकारी: उज्ज्वल राठौड़ ७।७७

प्रकरण संख्या – 6/2013 (आवन्टन निरस्तीकरण)
जीसीएमएस नं0 2013/00073

1. जगदीश आत्मज धन्नालाल जाति मेघवाल
2. श्रीमति अनोख बाई पत्नि मांगीलाल जाति मेघवाल
3. श्रीमति गंगाबाई पत्नि श्यामलाल जाति मेघवाल निवासीयान ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा।

––प्रार्थी.

बनाम

1. श्रीमति कंवर बाई पत्नि हुकम सिंह जाति राजपूत निवासी गोयन्दा तह0 रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र वास्ते आवंटन निरस्त किये जाने बाबत । आवंटन दिनांक 2.12.2010 भूमि आवंटन सलाहकार समिति रामगंजमण्डी अन्तर्गत नियम 14(4) भू–आवंटन अधिनियम

उपस्थिति

1. श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक प्रार्थी.
2. श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, अभिभाषक अप्रार्थी नं0 1
3. श्री बृजराज सिंह, राजकीय अभिभाषक

प्रकरण संख्या – 87/2016 (आवन्टन निरस्तीकरण)
जीसीएमएस नं0 2016/00249

1. सरकार जर्ये, तहसीलदार रामगंजमण्डी, जिला कोटा राज0

बनाम

1. श्रीमति कंवर बाई पत्नि हुकम सिंह जाति राजपूत निवासी गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवन्टन) नियम 1970

उपस्थिति

1. श्री बृजराज सिंह, राजकीय अभिभाषक
2. श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, अभिभाषक अप्रार्थी

उपरोक्त दौनों प्रार्थना पत्र एक ही आवंटी को एक ही भूमि के आवंटन दिनांक 2.12.2010 के विरूद्व पेश किये जाने से दौनों प्रार्थना पत्रों का निर्णय एक साथ ही किया जा रहा है ।

जिला कलक्टर
कोटा

निर्णय

दिनांक --07/12/2021

1. प्रथम प्रार्थना पत्र 6/2013 उनवान जगदीश वगै0 बनाम श्रीमति कंवर बाई के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि आवंटी अप्रार्थी को ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 412 की रकबा 0.40 हे0 भूमि दिनांक 2.12.2010 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । उक्त आवटन के विरूद्व प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र दिनांक 6.6.2013 को प्रस्तुत कर कथन किया है कि ग्राम गोयन्दा में स्थित कृषि भूमि ख0नं0 189 की 12 बीघा 4 बिस्वा भूमि स्थित है जिसके प्रार्थी रेकाडेर्ड खातेदार है उक्त भूमि पर सेटलमेंट हो गया सेटलमेंट के बाद नवीन ख0न0 419, 420, 434 कायम किये गये सेटलेंट के बाद प्रार्थीगण के ख0नं0 189 को अनेक टुकडो में विभक्त किया जिसका नवीन ख0नं0 419,420,434 विभक्त किया गया और इसी के अनुसार नक्शा ट्रेस में ख0नं0 412 भी सेटलमेंट विभाग द्वारा कायम किया गया जो अवैधानिक है । उक्त ख0नं0 412 रकबा 0.40 हे0 भूमि को काश्त करने हेतु अप्रार्थी नं0 1 द्वारा आवेदन करने पर भू आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 2.12.2010 को आवंटन कर गैर खातेदारी में दर्ज करने का आदेश प्रदान कर दिया गया । सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई अवैधानिक कार्यवाही से तथा पटवारी हल्का की त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी नं0 1 के पक्ष में किया गया आवंटन अवैधानिक है । क्योंकि आवंटित भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं है ओर ना ही आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किसी प्रकार का दखल अप्रार्थी कम–1 को दिया गया है । प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया । अप्रार्थी नं0 1 की ओर से एडवोकेट श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता उपस्थित ।

2. इसी प्रकार तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 87/2016 उनवान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी बनाम श्रीमति कंवर बाई के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि आवंटी अप्रार्थी को ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 412 की रकबा 0.40 हे0 भूमि दिनांक 2.12.2010 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । अप्रार्थी वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में गैर खातेदार दर्ज है किन्तु आवंटित भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा नहीं है । कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन शर्तो की अवहेलना होने से आवंटन नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया है । प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 12.4.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीया को जर्ये सम्मन तलब किया गया । अप्रार्थीया की ओर से एडवोकेट श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता उपस्थित ।

3. प्रार्थना पत्र सं0 6/2013 जगदीश बनाम कंवर बाई एवं प्रार्थना पत्र सं0 87/2016 सरकार बनाम कंवर बाई में एक ही आवंटी होने तथा एक ही भूमि का एक ही दिनांक को आवंटन होने से दौनों प्रार्थना पत्रों में उपस्थित वकील उभयपक्ष की बहस एकसाथ सुनी गई।

4. प्रार्थी जगदीश वगै0 के अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन किया है ग्राम गोयन्दा में स्थित कृषि भूमि ख0नं0 189 की 12 बीघा 4 बिस्वा भूमि स्थित है जिसके प्रार्थी रेकाडेर्ड खातेदार है उक्त भूमि पर सेटलमेंट हो गया सेटलमेंट के बाद नवीन ख0न0 419, 420, 434 कायम किये गये सेटलेंट के बाद प्रार्थीगण के ख0नं0 189 को अनेक टुकडो में विभक्त किया जिसका नवीन ख0नं0 419,420,434 विभक्त किया गया और इसी के अनुसार नक्शा ट्रेस में ख0नं0 412 भी सेटलमेंट विभाग द्वारा कायम किया गया जो अवैधानिक है । उक्त ख0नं0 412 रकबा 0.40 हे0 भूमि को काश्त करने हेतु अप्रार्थी नं0 1 द्वारा आवेदन करने पर भू आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 2.12.2010 को आवंटन कर गैर खातेदारी में दर्ज करने का आदेश प्रदान कर दिया गया । सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई अवैधानिक कार्यवाही से तथा पटवारी हल्का की त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी नं0 1 के पक्ष में किया गया आवंटन अवैधानिक है । आवंटी को आवंटित भूमि पर दखल नहीं दिया गया है ओर ना ही अप्रार्थीया द्वारा वर्तमान में कब्जा काश्त किया जा रहा है । उक्त आवंटित भूमि पर प्रार्थीगण ही काश्त करते आ रहे है । वकील प्रार्थी द्वारा इसकी पुष्टि में अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

जिला कलक्टर
कोटा

रामगंजमण्डी में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 रा0टी0एक्ट प्रकरण संख्या 70/2013 की प्रति मय आदेशिकाओं की प्रति पेश की गई ।

5. राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं करने से आवंटन निरस्त योग्य होने से आवंटन निरस्ती का प्रकरण भिजवाया गया है । प्रकरण सं0 87/2016 से पूर्व इसी भूमि के सम्बन्ध में प्रकरण संख्या 13/2013 जगदीश बनाम कंवर बाई विचाराधीन है जिसमें प्रार्थीगण उनके द्वारा कब्जा काश्त करना बताते है ऐसी स्थिति में अप्रार्थीया कंवर बाई को आवंटित भूमि दिनांक 2.12.2010 के सम्बन्ध में कब्जा सम्बन्धी रिपोर्ट के आधार पर ही कार्यवाही की जा सकती है । चूंकि आवंटन पत्रावली के साथ सुपुर्दगीनामा नहीं है, स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आवंटी को आवंटन पश्चात कब्जा भी दिया गया है अथवा नहीं ?

6. वकील अप्रार्थीया द्वारा दौनों प्रार्थना पत्र सं0 13/2013 जगदीश बनाम कंवर बाई एवं 87/2016 सरकार बनाम कंवर बाई में प्रस्तुत जवाब अनुसार ही बहस में कथन किया है कि प्रार्थीगण जगदीश वगै0 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 189 की 12 बीघा 4 बिस्वा भूमि के वर्तमान सेटलमेन्ट में नये खसरा नम्बर 419,420,434 बने है यह सत्य है किन्तु खसरा नम्बर 412 साबिक खसरा नम्बर 172 से बने है इसलिए प्रार्थी का कथन असत्य है कि आवंटित भूमि खसरा नम्बर 412 की 0.40 हे0 प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि 189 से बने हो । सेटलमेन्ट विभाग द्वारा साबिक खसरा नम्बर 172 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा के नये खसरा नम्बर1.41 हे0 एवं खसरा नम्बर 412 रकबा 0.40 हे0 सही रूप से कायम किये गये है । हाल खसरा नम्बर 411 रकबा 1.41 हे0 एवं खसरा नम्बर 412 रकबा 0.40 हे0 भूमि सिवायचक थी, सिवायचक होने से अप्रार्थीनी को नियमानुसार आवंटन की गई है आवंटन के बाद से ही आवंटित भूमि ख0नं0 412 की 0.40 हे0 पर अप्रार्थीनी बहैसियत गैर खातेदार काबिज काश्त है । अप्रार्थीनी को आवंटित भूमि बंजड किस्म की असिंचित भूमि है । फसल काहोना वर्षा पर निर्भर रहता है, पर्याप्त वर्षा होने पर अप्रार्थीनी नियमितरूप से फसल कर रही है । अनावृष्टि होने पर , कम वर्षा होने पर फसल खराब हो जाती है । अतः दौनों प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाने की कृपा करें । वकील अप्रार्थी द्वारा अपने कथनों की पुष्टि में ग्राम गोयन्दा का मिलान क्षैत्रफल अवधि 29.9.2004–28.10.2024 एवं नक्शा ट्रेट सन 2001–02 प्रस्तुत किये

7. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । प्रकरण संख्या 6/2013 में वकील प्रार्थी का मुख्य कथन है कि ग्राम गोयन्दा की अप्रार्थी कंवर बाई को आवंटित भूमि खसरा नम्बर 412 की 0.40 हे0 पर कब्जा नहीं दिया गया है ओर ना ही वर्तमान में कब्जा काश्त किया जा रहा है, तथा अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थी जगदीश वगै0 के विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी में 183 रा0टी0एक्ट के तहत अप्रार्थीया द्वारा वाद प्रस्तुत किया हुआ है जिसकी प्रमाणित प्रति पेश की गई जिसमें आगामी सुनवाई दिनांक 27.12.2021 नियत है । तथा वकील प्रार्थीगण ने यह भी कथन किया है कि खसरा नम्बर 412 रकबा 0.40 हे0 प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 189 रकबा 12 बीघा 4 बिस्वा के सेटलमेंट बाद टुकडे होने से नक्शा ट्रेस में कायम किये गये है । इसके विपरीत वकील अप्रार्थी द्वारा कथन किया है कि उक्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थीया का ही कब्जा है तथा काश्त की जा रही है किन्तु उक्त भूमि बंजड किस्म की होने से काश्त बारिस के उपर ही निर्भर होती है । कम वर्षा होने पर फसल नहीं हो पाती है । तथा यह भी निवेदन किया है कि अप्रार्थीया को आवंटित भूमि खसरा नम्बर 412 रकबा 0.40 हे0 साबिक खसरा नम्बर 172 से बने । जिसकी पुष्टि मिलान क्षैत्रफल से होती है । इसी प्रकार प्रकरण संख्या 87/2016 में भी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा आवंटित भूमि खसरा नम्बर 412 रकबा 0.40 हे0 पर कब्जा नहीं होना अंकित किया है । इसके विपरीत वकील अप्रार्थीया द्वारा कब्जा काश्त करना अंकित किया है तथा राजकीय अभिभाषक द्वारा मौके की रिपोर्ट अनुसार ही कार्यवाही किये जाने हेतु निवेदन किया है ।

8. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को पर गहनता से विचार किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों एवं पत्रावली का एवं आवंटन पत्रावली का अवलोकन किया । जिस अनुसार अप्रार्थीया को दिनांक 2.12.20210 को ग्राम गोयन्दा की आवंटित भूमि खसरा नम्बर 412 की रकबा 0.

जिला कलक्टर
कोटा

40 हे0 का अप्रार्थीया को आवंटन पश्चात कब्जा सुपुर्द भी कराया अथवा नहीं ? तथा मौके पर कब्जा काश्त किसके द्वारा की जा रही है आदि बिन्दुओं की जांच कराई जाकर मौका रिपोर्ट एवं कब्जा काश्त अनुसार ही कार्यवाही की जाना उचित मानते है ।

9. परिणामतः प्रार्थी जगदीश वगै0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 6/2013 उनवान जगदीश बनाम कंवर बाई वगै0 एवं तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सं0 87/2016 सरकार बनाम कंवर बाई, बिना मौके की जांच कराए स्वीकार योग्य नहीं है । दौनों ही प्रकरण तहसीलदार रामगंजमण्डी को प्रतिप्रेषित किये जाते है तथा आदेश दिये जाते है कि प्रकरण में आवंटी को आवंटन पश्चात भूमि सुपुर्द कराई अथवा नहीं ? चूंकि आवंटन पत्रावली में सुपुर्दगीनामा नहीं है । आवंटी द्वारा कब्जा काश्त की जा रही है अथवा नहीं आदि बिन्दुओं की रेकार्ड एवं मौका स्थिति की जांच कराई जाकर मौका स्थिति अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

10. निर्णय आज दिनांक 07.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा